

आप के आवेदन संख्या- 116 तिथि- 11.04.2016 के संदर्भ में

सेसर्स जगत होम्स एण्ड रिसेर्इस प्रा० लि०, पता-पटली मणिल, जुगल स्मृति कैम्पस, खानपुरा, बेली रोड, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) आवासीय भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनर्निर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के .116 प्लॉट नं०- 486, 487 एवं 483, खाता नं०- 32, 25, 23 एवं 1, तौजी नं०-बिहार सरकार, थाना नं०- 23, मौजा- सगुना, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०- .14.7/16-17 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 19768.29 वर्ग मीटर एवं 2B+G+9 की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अलग रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 7633.08 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 64.02 मी० चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत

क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/पगर/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(7) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(8) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस मूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बायत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(9) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बायत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः ही जारी रहेगा।

(10) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(11) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात् यदि कोई भू-अभिलेख या तथ्य धुंधला हो या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करने पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(12) भवन निर्माण के पूर्व विहित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

(13) नक्शे में वर्णित सड़क चौड़ाकरण का भूपट्टी को छोड़कर ही भवन की चहारदीवार का निर्माण किया जायेगा।

(14) भवन के निर्माण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज में वर्णित प्रपत्र के साथ कम्पलिसन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है।

(15) प्राधिकार के बाईलॉज में अन्तर्गत वर्णित ऑक्कूपेन्सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(16) निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेन्सी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा उनके लाईसेन्स की रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(17) अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना हैं जिसे तोड़कर 6 माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया है तो उसका समयावधि में अनुपालन कृपता से किया जायेगा।



